न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी, डॉ0 राकेश कुमार शर्मा, आर.ए.एस

अपील संख्याः 44/17 **निर्णय दिनांक** 10-11-17

1. हजारीराम पुत्र हरभजराम जाति बिश्नोई निवासी सलूण्डिया तहसील नोखा जिला बीकानेर।

—अपीलांट्

—बनाम—

1. निहालचन्द पुत्र हजारीराम जाति बिश्नोई निवासी सलूण्डिया तहसील नोखा जिला बीकानेर।
2. बाली देवी उर्फ बाधूदेवी पत्नी हजारीराम जाति बिश्नोई निवासी सलूण्डिया तहसील नोखा जिला बीकानेर।
3. मांगीलाल पुत्र हजारीराम जाति बिश्नोई निवासी सलूण्डिया तहसील नोखा जिला बीकानेर।
4. सुआ पत्नी राकेश पुत्री स्व. सम्पतलाल निवासी तालरिया बास रासीसर तहसील नोखा।
5. सुरेश पुत्र स्व. सम्पतलाल जाति बिश्नोई निवासी सलूण्डिया तहसील नोखा जिला बीकानेर।
6. शारदा पत्नी पतराम पुत्री हजारीराम जाति बिश्नोई निवासी नोखा गांव तहसील नोखा।
7. सुनीता पत्नी इन्द्रचन्द्र पुत्री हजारीराम बिश्नोई निवासी चावण्डिया तहसील खींवसर जिला नागौर।
8. प्रेम पत्नी शैतानाराम पुत्री हजारीराम जाति बिश्नोई निवासी चावण्डिया तहसील खींवसर जिला नागौर।
9. राजा पत्नी मनीराम पुत्री हजारीराम जाति बिश्नोई निवासी चावण्डिया तहसील खींवसर जिला नागौर।
10. उत्तमचन्द पुत्र ताराचन्द जाति पुगलिया निवासी तेरापंत भवन के पास, नोखा तहसील नोखा।
11. स्टेट ऑफ राजस्थान, जरिये तहसीलदार, नोखा।

—रेस्पोडेन्ट्स

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

अपील विरुद्ध आदेश उपखण्ड अधिकारी, नोखा
दिनांक 21—07—2017

उपस्थितः—

1. श्री सीताराम बिश्नोई, अभिभाषक अपीलांट
2. श्री नन्दराम कॉसनिया राजकीय, अभिभाषक

—निर्णय—

1. अपीलांट ने यह अपील उपखण्ड अधिकारी नोखा के आदेश दिनांक 21—07—2017 जिसके द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 का प्रार्थना पत्र विधि विरूद्व आधारों पर स्वीकार किया गया है, के विरुद्व इस न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 225 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है ।

2. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि आराजी जैर वाके रोही सलूण्डिया के खेत खसरा नम्बर 843 तादादी 10.39 हेक्टर, खसरा नम्र 815 तादादी 0.07 हेक्टर कुल तादादी 10.66 हेक्टर में स्थित है। जिसमें खसरा नम्बर 843 तादादी 10.39 हेक्टर भूमि अपीलांट की खातेदारी में स्थित है तथा खसरा नम्बर 815 तादादी 0.27 हेक्टर भूमि रेस्पोडेन्ट संख्या 10 की खातेदारी में अंकित है। आराजी जैर अपीलांट को उसके भाई बृजलाल, रामनारायण, रामप्रताप के साथ सयुंक्त रूप से 1974 में विरासत में प्राप्त हुई।

जिसका अपीलांट का अपने भाईयों के मध्य लगभग 23 वर्ष पूर्व विभाजन हो गया। आराजी जैर अपील का विभाजन हो जाने के कारण कानूनन आराजी जैर अपील पैतृक सम्पति नहीं होकर अपीलांट की स्व—अर्जित सम्पति हो गई। जिस पर अपीलांट बतौर खातेदार काबिज है। जब तक अपीलांट के भाईयों के मध्य हुए विभाजन को निरस्त नहीं करवा लिया जाता तब तक अपीलांट की स्व—अर्जित भूमि पर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 का कोई हक व हिस्सा नहीं होता है।

हरभजराम की वंक्षावली निम्न प्रकार है।

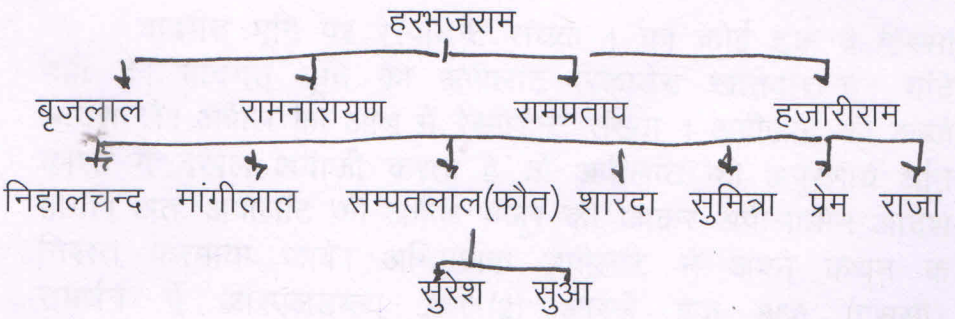

उन्होंने आगे बताया कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने आराजी जैर को पैतृक सम्पति बताते हुए अपने 1/8 हिस्से की घोषणा के लिए दावा प्रस्तुत किया है। हालांकि आराजी जैर अपील विभाजन हो जाने के कारण पैतृक सम्पति नहीं रही है। लेकिन यदि सम्पति पैतृक सम्पति हो तो भी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को आराजी जैर अपील में कोई अधिकार प्राप्त नहीं होते है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने आराजी जैर अपील में 1/8 हिस्से की घोषणा के लिए दावा प्रस्तुत किया है। आराजी जैर अपील में अपीलांट की खातेदारी भूमि की तादादी 10.39 हेक्टर है जिसमें से अपीलांट ने अपनी खातेदारी भूमि को 1/8–1/8 हिस्स के हिसाब से 9.091 हेक्टर भूमि को अपनी पत्नी व पुत्र तथा पुत्रियों को गिफ्ट किया है तथा शेष 1/8 हिस्से की भूमि अपीलांट के खाते में स्थित है। इसलिए अपीलांट को किसी प्रकार की कोई अपूरणीय क्षति कारित नहीं हो रही है। अदालत मातहत द्वारा अस्थाई निषेधज्ञा का प्रार्थना पत्र का निस्तारण किया है। अदालत मातहत द्वारा अपने निर्णय में इस तथ्य पर कोई गौर नहीं किया कि रिकार्डेड खातेदार के विरूद्व किसी भी प्रकार की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती। इस संबंध में अपीलांट ने अदालत मातहत के समक्ष नजीरें भी प्रस्तुत की थी। लेकिन अदालत मातहत ने अपीलांट द्वारा प्रस्तुत नजीरों का विवेचन किये बिना आदेश जैर अपील पारित किया है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 का आराजी जैर अपील में कितना हिस्सा बनता है, या नहीं बनता है, बनता है तो किस प्रकार आदि तथ्यों का कोई विवेचन अपने निर्णय में नहीं किया गया है। अदालत मातहत द्वारा इन तथ्यों पर कोई गौर किये बिना रिकार्डेड खातेदार के विरूद्व अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की

राजस्व अपील अधिकारी बीकानेर

जानी विधि सम्मत नहीं है। इसलिए आदेश जैर अपील खारिज योग्य है।

वादगत् भूमि पर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 का कोई हक व हिस्सा नहीं है। वादगत् भूमि का अपीलांट रिकार्डेड खातेदार है। यदि आदेश जैर अपील की आड़ में रेस्पोडेन्ट संख्या 1 अपीलांट को कब्जे काश्त में दखल अंदाजी करता है तो अपीलांट को अपूरणीय क्षति होगी। अतः अपीलांट की अपील मंजूर की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त फरमाया जावे। अभिभाषक अपीलांट ने अपने कथन क समर्थन में आरएलडब्ल्यू 2011(2) आरजे पेज 856 (एससी), आरआरटी 2012 पार्ट I पेज 123,

4. रेस्पोडेन्ट्स को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये गये। रेस्पोडेन्ट बावजूद सूचना उपस्थित नहीं आये। अतः दिनांक 16—10—2017 को उनके विरूद्व एकतरफा कार्यवाही की गई।

5. विद्वान अभिभाषक अपीलांट की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

6. (1) हस्तगत् प्रकरण में आराजी जैर वाके रोही सलूण्डिया के खेत खसरा नम्बर 843 तादादी 10.39 हेक्टर, खसरा नम्र 815 तादादी 0. 07 हेक्टर कुल तादादी 10. 66 हेक्टर में स्थित है। जिसमें खसरा नम्बर 843 तादादी 10.39 हेक्टर भूमि अपीलांट की खातेदारी में स्थित है तथा खसरा नम्बर 815 तादादी 0.27 हेक्टर भूमि रेस्पोडेन्ट संख्या 10 की खातेदारी में अंकित है। आराजी जैर अपीलांट को उसके भाई बृजलाल, रामनारायण, रामप्रताप के साथ सयुंक्त रूप से 1974 में विरासत में प्राप्त हुई। जिसका अपीलांट का अपने भाईयों के मध्य लगभग 23 वर्ष पूर्व विभाजन हो गया। अतः प्रथम दृष्टया मामला अपीलांट के पक्ष मे होना प्रतीत होता है।

(2) अदालत मातहत के समक्ष रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा आराजी जैर पैतृक सम्पति बताते हुए अपने 1/8 हिस्से की घोषणा का दावा प्रस्तुत किया है। जबकि आराजी जैर विभाजन होने के कारण पैतृक सम्पति नहीं रही है। जब वादगत् भूमि का विभाजन हो चुका है ऐसी स्थिति में विभाजन बाद वादगत् भूमि स्वअर्जित भूमि है। इसलिए

राजस्व अपील अधिकारी बीकानेर

रेस्पोडेन्ट का वादगत् भूमि पर कोई हक व हिस्सा नहीं बनता है। ऐसी स्थिति में सुविधा का संतुलन अपीलांट को होना साबित है।

(3) जहॉ तक अपूरणीय क्षति का प्रश्न है रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने आराजी जैर अपील में 1/8 हिस्से की घोषणा के लिए दावा प्रस्तुत किया है। आराजी जैर अपील में अपीलांट की खातेदारी भूमि की तादादी 10.39 हेक्टर है जिसमें से अपीलांट ने अपनी खातेदारी भूमि को 1/8–1/8 हिस्स के हिसाब से 9.091 हेक्टर भूमि को अपनी पत्नी व पुत्र तथा पुत्रियों को गिफ्ट किया है तथा शेष 1/8 हिस्से की भूमि रेस्पोडेन्ट के खाते में स्थित है। अपीलाधीन आदेश की आड़ में रेस्पोडेन्ट, अपीलांट को वादगत् भूमि से बेदखल करने या खुद–बुर्द करने में सफल हो गये तो अपीलांट को ना पूरा होने वाला नुकसान होगा। अतः अपूरणीय क्षति का बिन्दु अपीलांट के पक्ष में प्रतीत होता है।

(4) अदालत मातहत द्वारा निर्णय पारित करने से पूर्व अस्थाई निषेधाज्ञा के तीन महत्वपूर्व बिन्दु प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन व अपूरणीय क्षति पर अपना कोई विस्तृत विवेचन न करते हुए संक्षिप्तः निर्णय पारित किया है। अदालत मातहत द्वारा अपने निर्णय में इस तथ्य पर कोई गौर नहीं किया कि आराजी जैर अपीलांट को संयुक्त रूप से वर्ष 1974 में विरासत में प्राप्त हो चुकी थी तथा जिसका विभाजन 23 वर्ष पूर्व हो चुका है।

(5) अपीलाधीन निर्णय के अवलोकन से स्पष्ट है कि अदालत मातहत द्वारा केवल मात्र यह अंकित करते हुए निर्णय पारित किया है कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के अनुसार वादगत् भूमि अप्रार्थी संख्या 1 की स्वअर्जित सम्पति न होकर पैतृक सम्पति होना प्रमाणित है। अदालत मातहत को इस तथ्य पर अपना विस्तृत विवेचन अंकित करना चाहिए था कि आराजी जैर किस प्रकार से स्वअर्जित सम्पति न होकर पैतृक सम्पति प्रमाणित है।

(6) वादगत् आराजी पर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 का कितना प्रकार हिस्सा बनता है, अथवा नहीं बनता है, व हिस्सा बनता है तो कैसे? इन सब तथ्यों का निस्तारण दावे में तय होने है। दावें में किसी निर्णय से पूर्व किसी खातेदार को अस्थाई निषेधाज्ञा से रोका जाना विधि सम्मत नहीं है।

(7) इस संबंध में अभिभाषक अपीलांट द्वारा प्रस्तुत नजीर आरआरटी 2013 पार्ट I पेज 123 मामलें में चस्पा होती है। **Rajasthan tenancy act,1955 - sec. 212- temporary injuction - application dismissed - order affirmed in appeal - non-petitioner is a recorded khatedar of the land & granting T.I. against him is not justified-held, no jurisdictional error in the orders.**

7. अतः पैरा संख्या 6 के बिन्दु संख्या 1 से 6 में वर्णित विवेचना के आधार पर व प्रस्तुत नजीर के प्रकाश में अपीलांट की अपील स्वीकार की जाती है एवं उपखण्ड अधिकारी, नोखा का आदेश दिनांक 21—07—2017 निरस्त किया जाता है।

8. निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 10/11/17 को सरे इजलास सुनाया गया।

(डॉ0 राकेश कुमार शर्मा)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर